

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

॥ अधिसूचना ॥

सं०सं०-16/परि०-03-73/2026

/न०वि०एवंआ०वि०, पटना दिनांक-

नगर पंचायत, जगदीशपुर में कतिपय प्रतिवेदित आरोपों की जाँच विभागीय जाँच समिति द्वारा की गई। जाँच समिति द्वारा नगर पंचायत, जगदीशपुर में वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-2024 में तालाबों के जीर्णोद्धार एवं तालाबों के आस-पास संबंधित कार्यों में बिना कार्य कराये भुगतान कर वित्तीय अनियमितता करने संबंधी मामले में नगर पंचायत, जगदीशपुर में तत्समय पदासीन मुख्य पार्षद, पदस्थापित कार्यपालक पदाधिकारी एवं अभियंता के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता करने का आरोप प्रमाणित पाया गया।

2. विभागीय जाँच समिति द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-2476 दिनांक-04.07.2026, 2708 दिनांक-17.07.2026 एवं 3224 दिनांक-20.08.2026 द्वारा श्री अनिरुद्ध कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी (बि०न०से०), नगर पंचायत, जगदीशपुर को नगर पंचायत, जगदीशपुर में वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-2024 में पदासीन मुख्य पार्षद, पदस्थापित कार्यपालक पदाधिकारी एवं अभियंता को चिन्हित कर उनके विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करते हुए विभाग को अवगत कराने का निदेश दिया गया था, परंतु श्री कुमार के द्वारा उक्त विभागीय निदेश का अनुपालन नहीं किया गया।

3. श्री कुमार का उक्त कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3 (1) (i) (ii) एवं (iii) का उल्लंघन तथा स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने का द्योतक है।

4. अतः श्री अनिरुद्ध कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी (बि०न०से०), नगर पंचायत, जगदीशपुर को उक्त कृत्य के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है।

5. निलंबन अवधि में श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10 के तहत अनुमान्य दर से जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

6. निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, पूर्णियाँ का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

7. श्री कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र एवं अनुशासनिक कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(परमानन्द पाण्डेय),

सरकार के उप सचिव।

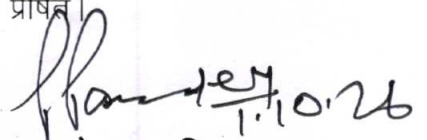
ज्ञापांक-16/परि0-03-73/2026 3811 /न0वि0एवंआ0वि0, पटना दिनांक-01/10/26

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, भोजपुर एवं पूर्णियाँ/नगर आयुक्त, नगर निगम, पूर्णियाँ/श्री अनिरुद्ध कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी (बि०न०से०), नगर पंचायत, जगदीशपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी वरीय एवं कनीय पदाधिकारी/उप सचिव (स्थापना) एवं आई०टी०, प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।